फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गोविन्दगढ जिला अलवर

..........जुबेर खांन..........बनाम..........[illegible]..........

प्रकरण सं.......2/11/2024....... तारीख रजू.......08.2.2024.......

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो जारी हुआ
08.02.2024	वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 अंतर्गत धारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र के सर्मथन में प्रार्थी ने अपना शपथ पत्र पेश किया व अप्रार्थीगण को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का निवेदन किया, वकील प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। जिसमें वकील प्रार्थी ने प्रमुखतः यह कथन किया कि उक्त आराजी को रहन बय व मुंतकिल ना करे एवं मौके व रिकॉर्ड यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावें। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति प्रार्थी के पक्ष में होना प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगण को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से आगामी ता0 पेशी तक पाबंद किया जाता है कि वो विवादित आराजी खसरा नं. 1041, 1170/1057 वाके ग्राम नसवारी तह0 गोविन्दगढ़ में अपनी हिस्से से अतिरिक्त आराजी बाबत प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा न करें तथा अपने हिस्से की आराजी का बेचान किसी विशेष खसरा नम्बर अथवा आराजी की दिशा विशेष का उल्लेख करते हुए रहन, बैय मुंतकिल न करे। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी हो कि उक्त आदेश की पालना में कोई उज्र हो तो दिनांक 29.02.2024 को असालतन/वकालतन उपस्थित होकर पेश करें, कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस रजि0 डाक से तलब हो, पत्रावली दिनांक 29.02.2024 को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हो। उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर)	

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गोविन्दगढ जिला अलवर

जुबेर खान बनाम मीरचंद कोराद

प्रकरण सं. 2/11/2024 तारीख रजू 08.02.2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो जारी हुआ
09.6.25	पत्रावली प्रस्तुत हुई। पत्रावली वास्ते इंतजार तामिल विपक्षी अपेक्षित। दिनांक 03.7.25 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०	
03.7.25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी को अप्रार्थीगण की तलबी बाबत बार-बार पर्याप्त अवसर दिये जा चुके हैं परन्तु अद्दिनांक तक तामिल नहीं करायी गयी है। अतः प्रार्थना पत्र-212RTA सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 9 नियम 05 के आलोक में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील पत्रावली मूल वाद के साथ संलग्न हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०	